राजस्थान सरकार
तकनीकी शिक्षा विभाग

क्रमांक F1(6)त०शि/99 जयपुर, दिनांक 5-2-16

आदेश

विषय:- अनुसूचित क्षेत्र के जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों को राज्य में स्थित समस्त अभियांत्रिकी **महाविद्यालय/पॉलोटेक्निक/एम.सी.ए./प्रबन्धकीय आदि शैक्षणिक संस्थानो में संचालित समस्त सर्टिफिकेट स्नातक एवं स्नाकोत्तर में आरक्षण दिये जाने के संबंध में।**

राज्य सरकार द्वारा पी.एम.टी. परीक्षा एवं सेवा पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों यथा- बी.एड./एम. एड/बी.पी.एड/शिक्षाशास्त्री/एस.टी.सी. आदि में लागू आरक्षण व्यवस्था की तर्ज पर समस्त तकनीकी शिक्षण संस्थानो के जिन भी पाठ्यक्रमों में अनुसूचित जनजाति के लिए 12 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान लागू हैं। उन सभी में अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए निर्धारित 12 प्रतिशत में से 45 प्रतिशत् स्थान अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रखे जाने का नीतिगत निर्णय लिया गया है। उक्त निर्णय के अनुसार अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षण के प्रावधान निम्न प्रकार होगे -

"राज्य में स्थित समस्त तकनीकी शिक्षण संस्थानो यथा-इंजीनियरिंग/पॉलोटेक्निक/प्रबंधकीय/ एम.सी.ए. आदि में संचालित सर्टिफिकेट, स्नातक एवं स्नाकोत्तर पाठ्यक्रमों में अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए निर्धारित 12 प्रतिशत आरक्षण मे से 45 प्रतिशत (अर्थात् 5.5 प्रतिशत) आरक्षण भारत सरकार की अधिसूचना संख्या एफ.19(2)80-एल-1 दिनांक 12.02.81 द्वारा विनिर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्र के जनजाति अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रखे जायेगें"। यह आरक्षण अनुसूचित जनजाति के लिए निर्धारित 12 प्रतिशत के अध्याधीन ही देय होगा तथा प्रवेश स्थान रिक्त रहने पर अन्य अनुसूचित जनजाति के अभ्यार्थियो से भरा जा सकेगा।

यह आदेश विभाग द्वारा जारी पूर्व आदेश दिनांक 15.09.2011 के अतिक्रमण में जारी किया गया है तथा इस विभाग के आदेश क्रमांक प.1(6)त.शि./99 दिनांक 19.06.2013 से राजकीय अभियान्त्रिकी महाविद्यालय, बांसवाडा के संबंध में जारी आदेश यथावत लागू रहेगे।

स्पष्टीकरण- **"अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी" से ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत है, जो अनुसूचित क्षेत्र के सद्भावी निवासी है और जो स्वयं या, यदि उनका जन्म 1 जनवरी, 1970 के बाद हुआ है तो, उनके माता-पिता/पूर्वज 1 जनवरी, 1970 के पूर्व से अनुसूचित क्षेत्र के सद्भावी निवासी रहें है,** का स्पष्टीकरण शामिल करावें।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है तथा उक्त व्यवस्था **आदेश जारी होने की दिनांक से** लागू होगी।

आज्ञा से

(राजहंस उपाध्याय)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

DIRECTORATE OF TECHNICAL EDUCATION
JODHPUR
R. R. No. 722
DATE 13-2-16

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री, तकनीकी शिक्षा।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
5. सदस्य सचिव, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली।
6. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, तकनीकी शिक्षा।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग।
8. आयुक्त, टी.ए.डी. उदयपुर।
9. जिला कलक्टर, बांसवाडा/डूंगरपुर/प्रतापगढ/उदयपुर/सिरोही।
10. समन्वयक, रीप–2016 (कुलपति, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा)
11. समन्वयक, आरमेट–2016 (निदेशक, सीईजी, जयपुर)
12. समन्वयक, आरएनकेट–2016 (निदेशक, सीईजी, जयपुर)
13. निदेशक, तकनीकी शिक्षा, जोधपुर।
14. रजिस्ट्रार, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा।
15. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त सचिव, त.शि.

राजस्थान सरकार

तकनीकी शिक्षा निदेशालय, जोधपुर।

क्रमांकःएफ:5(1–बी) ई–2/प्रा.शि.नि./2016–17/15723-33 दिनांकः–14/7/16

प्रतिलिपिः– निम्न को सुलभ सन्दर्भ हेतु पूर्व आदेश क्रमांक प.1(6)त.शि./1999 दिनांक 15.9.2011 की प्रति संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत हैः–

1. संयुक्त निदेशक एवं सचिव, प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान जोधपुर।
2. प्रधानाचार्य, राजकीय/निजी पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, समस्त।
3. राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, समस्त।
4. सहायक प्रोग्रामर को भेजकर लेख है कि उपरोक्त आदेश को विभाग की वेब साईट पर अपलोड करे।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा

राजस्थान सरकार

तकनीकी शिक्षा विभाग

क्रमांक : प. 1(6)त.शि./1999 जयपुर, दिनांक : 15 सितम्बर, 2011

–:: आदेश ::–

विषय :– सत्र 2011–12 से अधिसूचित जनजाति उपयोजना क्षेत्र के स्थानीय अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु सेवापूर्व तकनीकी संस्थानों यथा आई.टी.आई., पॉलिटेक्निक व अभियांत्रिकी महाविद्यालयों/प्रबन्धकीय/MCA संस्थानों में प्रवेश प्रकिया/नियमों के अन्तर्गत निर्धारित 12 प्रतिशत का 45 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण सम्पूर्ण राज्य में लागू किये जाने के संबंध में।

राज्य सरकार, कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 12.9.2007 के अनुसार भारत सरकार की अधिसूचना संख्या एफ 19(2)80–एल–1 दिनांक 12.2.1981 द्वारा विनिर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों में राज्य सेवाओं को छोडकर अन्य सभी राजकीय सेवा के पदो पर सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की 45 प्रतिशत रिक्तियाँ अनुसूचित जनजातियों के स्थानीय सदस्यों के अभ्यर्थियों से भरे जाने के निर्देश दिये गये है।

तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा हेतु ट्राइबल एरिया में संचालित तकनीकी संस्थानों यथा आई.टी.आई., पॉलिटेक्निक व अभियांत्रिकी महाविद्यालयों/प्रबन्धकीय/MCA संस्थानों में चिकित्सा शिक्षा मे RPMT की तर्ज पर देय आरक्षण के आधार पर ही प्रवेश पूर्व परीक्षाओं में निर्धारित 12 प्रतिशत का 45 प्रतिशत आरक्षण अधिसूचित जनजाति उपयोजना क्षेत्र के स्थानीय अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए वर्ष 2011–12 से सम्पूर्ण राज्य में तकनीकी शिक्षण संस्थानों यथा आई.टी.आई., पॉलिटेक्निक व अभियांत्रिकी महाविद्यालयों/प्रबन्धकीय/MCA संस्थानों में प्रवेश प्रकिया/नियमों के अन्तर्गत लागू किये जाने का राज्य सरकार द्वारा नीतिगत निर्णय लिया गया है। नीतिगत निर्णय के अनुसार आरक्षण के प्रावधान इस प्रकार होंगे :–

"तकनीकी शिक्षण संस्थानों यथा आई.टी.आई., पॉलिटेक्निक/प्रबन्धकीय/MCA संस्थानों व इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में अधिसूचित जनजाति उपयोजना क्षेत्र के 6 जिले यथा बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर एवं सिरोही जिले के अधिसूचित भाग को सम्मिलित करते हुए इन क्षेत्रों में स्थित सभी आई.टी.आई., पॉलिटेक्निक व अभियांत्रिकी महाविद्यालयों/प्रबन्धकीय/MCA संस्थानों में उपयोजना क्षेत्र के स्थानीय अनुसूचित जनजाति के युवाओं को तकनीकी पाठ्यक्रमों यथा आई.टी.आई., पॉलिटेक्निक/प्रबन्धकीय/MCA व इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में निर्धारित 12 प्रतिशत का 45 प्रतिशत आरक्षण को सम्पूर्ण राज्य में स्थित आई.टी.आई., पॉलिटेक्निक/प्रबन्धकीय/MCA संस्थानों व इंजीनियरिंग कॉलेजों में AICTE एवं DGET/RCVET द्वारा स्वीकृत प्रवेश स्थानों पर लागू होगा। यह आरक्षण अनुसूचित जनजाति के 12 प्रतिशत के अध्याधीन ही देय होगा। प्रवेश स्थान रिक्त रहने पर अन्य अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों से भरी जा सकेगी।"

July, 2011 letter (K)

(41)

यह आदेश कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 12.9.2007 [illegible] में एवं जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की ओर से प्राप्त पत्र क्रमांक एफ 4(25)(12)/ [illegible]/TAD/06 दिनांक 9.6.2011 के परिपेक्ष्य में जारी किये जा रहे हैं।

यह आरक्षण व्यवस्था सत्र 2011–12 से राज्य में तकनीकी संस्थानों यथा आई.टी.आई. पॉलिटैक्निक व इंजीनियरिंग महाविद्यालयों/प्रबन्धकीय/MCA संस्थानों के पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु प्रभावी होगी। अतः उक्त प्रावधानों के अनुसार ही प्रवेश कार्य करवाना सुनिश्चित किया जावें।

आज्ञा से,

(विपिन चन्द्र शर्मा)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. विशिष्ट सचिव, माननीय तकनीकी शिक्षा मंत्री।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
5. सदस्य सचिव, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली।
6. निजी सचिव प्रमुख शासन सचिव, तकनीकी शिक्षा।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, श्रम एवं रोजगार विभाग।
8. शासन सचिव, जनजातिय क्षेत्रीय विकास विभाग।
9. आयुक्त, टी.ए.डी., उदयपुर।
10. जिला कलेक्टर, बांसवाडा/डूंगरपुर/प्रतापगढ/उदयपुर/सिरोही।
11. समन्वयक, आरपीईटी–2011 (निदेशक, तकनीकी शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, जोधपुर)।
12. समन्वयक, आरमेट–2011 (प्रधानाचार्य, माणिक्य लाल वर्मा टेक्सटाईल व इंजीनियरिंग कॉलेज, भीलवाड़ा)।
13. समन्वयक, आरएमकेट–2011 (प्राचार्य, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी, बीकानेर)।
14. निदेशक, तकनीकी शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, जोधपुर।
15. निदेशक, (प्रशिक्षण) प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, जोधपुर।
16. रजिस्ट्रार, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा।
17. रक्षित पत्रावली।

विशेषाधिकारी, त.शि.

July. 2011 letter (K)